न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 167/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

राजीव कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. कमला देवी पत्नी श्री दताराम पुत्री स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. हरीराम पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. रीतू पुत्री श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. पूनम पुत्री श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 06.05.2024

वादी राजीव कुमार ने प्रतिवादीगण कमला देवी वगैरा के विरूद्व यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की बुआ, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी के चाचा, प्रतिवादीया सं. 5 व 6 वादी की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 की बुआ, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 178/158 जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता [illegible] जमा[illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वादी पत्र की चरण सं[illegible] में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त [illegible] की संयुक्त कृषि भूमि हैं। प्रतिवादीया सं. 1 संयुक्त परिवार की मुखिया [illegible] के कारण उक्त संयुक्त कृषि भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 15:03:20 IS
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करवा दी जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तहसील संगरिया के अन्य चक में प्राप्त कर ली तथा प्रतिवादीया सं. 1, 5 व 6 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

वादी **राजीव कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 178/158 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया [illegible] वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया [illegible] की प्रति पेश की जो खाता सं. 178/158 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 [illegible] प्र. प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. [illegible] साक्ष्य प्रतिवादीगण [illegible] की सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.21 15:03:20 IS
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 की बुआ, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 178/158 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 की बुआ, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एन.जी. के खाता सं. 178/158 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 कमला देवी पत्नी श्री दताराम का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.03.24 .... को [illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:03:20 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official